

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 88]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 11, 1970/वैशाख 21, 1892

No. 88]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 11, 1970/VAISAKHA 21, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

(Posts and Telegraphs Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May 1970

G.S.R. 775.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph (Sixth Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the 15th May, 1970.

2. In the Indian Telegraph Rules, 1951 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 62, for the words "twenty paise", the words "forty paise" shall be substituted.

3. In rule 124 of the said rules, for the Table of charges, for Greetings telegrams, the following Table shall be substituted, namely :—

Class	Not exceeding eight chargeable words	Exceeding eight chargeable words	
		First eight chargeable words	Each additional word after the first eight chargeable words.
	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
Express	2-30	2-30	0-20
Ordinary	1-15	1-15	0-10

4. In rule 225 of the said rules, for the expression "20 paise", the words "forty paise" shall be substituted.

[No. 7-33/70-R.])

C. A. CORNELIUS,

Senior Member (Telecom. Operations.)
and *Ex-Officio* Addl. Secy.

संचार विभाग

(डाक तार बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली 7 मई 1970

सा० का० नि० 775—भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय-तार नियम 1951 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा नियम बिनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम भारतीय तार (छठी संशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे।

(2) ये 15 मई 1970 को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय तार नियम, 1951 (जिसे इसमें इसके पश्चात्, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 62 में, "बीस पैसे" शब्दों के स्थान पर "चालीस पैसे" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियमों के नियम 124 में बघाई तार के प्रभारों की सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

वर्ग	आठ प्रभार्य शब्दों से अनधिक	आठ प्रभार्य शब्दों से अधिक प्रथम आठ प्रभार्य शब्द	प्रथम आठ प्रभार्य शब्दों के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त शब्द
	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
तुरन्त	2-30	2-30	0-20
साधारण	1-15	1-15	0-10

4. उक्त नियमों के नियम 225 में “20 पैसे” पद अधिव्यक्ति के स्थान पर “चालीस पैसे” प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं० 7-33/70-आर]

सी० ए० कारनीलियस,
ज्येष्ठ सबस्य (दूर संचार प्रचालन)

